



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/007

दिनांक : 02.04.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: निर्दिष्ट आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत दिनांक 1 अप्रैल 2026 को अधिसूचना संख्या 12/2026-सीमा शुल्क जारी की है।

इस अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 2021 के तहत जनहित में कुछ निर्दिष्ट आयातित वस्तुओं पर छूट प्रदान की है।

यह छूट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में आने वाली वस्तुओं पर लागू होती है, जिनमें अध्याय 39 (प्लास्टिक और उससे संबंधित वस्तुएं) के अंतर्गत वर्गीकृत वस्तुएं भी शामिल हैं। परिणामस्वरूप, अध्याय 39 के अंतर्गत निर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रभावी सीमा शुल्क शून्य हो जाता है, बशर्ते अधिसूचना की शर्तों का पालन किया जाए।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे निर्दिष्ट श्रेणियों और कम शुल्क दरों वाली वस्तुओं के लिए विस्तृत अधिसूचना देखें।

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202604021110_09.pdf

यह अधिसूचना 2 अप्रैल, 2026 से लागू होगी और 30 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगी।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

, उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

, प्लेक्सकॉन्सिल